न्यायालय लेण्डरिकोर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी – चन्द्रशेखर भण्डारी आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 1007 / 2018
दायर दिनांकः– 22 / 10 / 2018
निर्णय दिनांकः– 28 / 08 / 2019

अनवान

1. श्यामसुन्दर पिता पन्नालाल पालीवाल निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. रामनारायण पिता छोगालाल सुनार निवासी रेलमगरा तह0 रेलमगरा
2. मधु पत्नि जगदीश चन्द्र कुमावत निवासी ऐमडी तहसील राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 एल.आर.एक्ट

: : निर्णय : :

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न आधारो पर प्रस्तुत है कि ग्राम रेलमगरा की सीमा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 3112 रकबा 01–06–10 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है प्रार्थी के आराजी संख्या 3112 के पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1579 रकबा 01–18 बीघा भुमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस साथ संलग्न है प्रार्थी की उक्त आराजी व विपक्षीगण की कृषि आराजी के मध्य स्थाई सीमाकंन के रूप में कोई सीमा चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर कोई डोल, थोहर बाड इत्यादि है, जिससे प्रार्थी एवं विपक्षीगण के बीच सीमा सम्बंधित विवाद, लडाई झगडा होते रहते है। प्रार्थी की आराजीयात में विपक्षीगण द्वारा आये दिन सीमा सम्बंधी विवाद करते रहते है। तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात में अनाधिकार कब्जा करने की नियत से प्रवेश करते है तथा प्रार्थी की सीमा में स्थित पेड पौधे को भी काटकर ले जाने की धमकियां देते है तथा जबरन प्रार्थी की आराजीयात में प्रवेश कर जाते है व कब्जा करने की कोशिश करते रहते है जिससे आये दिन सीमा विवाद होता रहता है। तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात को अपनी

आराजीयात में मिलाने का प्रयास करते रहते है जिस कारण प्रार्थी ने तहसीलदार रेलमगरा के यहां सीमा जानकारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा के यहां सीमा जानकारी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा के आदेश से पटवार हल्का ने दिनांक 21/06/2018 को मौके पर पहुँच प्रार्थी को सीमा जानकारी कराई गई लेकिन विपक्षीगण मौके पर उपस्थित थे लेकिन पटवार हल्का द्वारा बताई गई सीमाज्ञान को मानने को तैयार नहीं हुऐ जिस कारण प्रार्थी को मजबुर होकर यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा है। सीमा जानकारी के पर्चे मौके की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है यह कि विपक्षीगण द्वारा पटवार हल्का रेलमगरा द्वारा सीमा जानकारी दिनांक 21/06/2018 को की गई परन्तु विपक्षीगण द्वारा उक्त सीमा जानकारी को मानने से इन्कार कर दिया जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है वादग्रस्त भूमियां ग्राम रेलमगरा में मौजुद होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार आप न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम रेलमगरा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 3112 रकबा 01–06–10 बीघा भूमि पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1579 रकबा 01–18 बिघा के बीच पत्थरगडडी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। तहसीलदार महोदय रेलमगरा को कमिश्नर मुकर्रर कर फरमाया जाकर उक्त आदेश का पालना कराई जावे। खर्चा कमिश्नर प्रार्थी वहन करने को तैयार है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया विपक्षी बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाये जाने का हक अधिकार निहित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 3112 रकबा 01–06–10 बीघा भूमि पश्चिम दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1579 रकबा 01–18 बिघा के बीच सीमा के मध्य पत्थरगढी किये हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावे। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/08/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

28/8/19
(चन्द्रशेखर भण्डारी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा